T(2)

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :— 86/23—24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

फ्रांसिस भेंगरा — विक्रेता

जयश्री भेंगरा — क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
28.08.23	(see below)	

आदेश

आवेदक फ्रांसिस भेंगरा पिता स्व0 बुधवा भेंगरा ग्राम—चन्द्रपुर सीरीटोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने जयश्री भेंगरा पिता स्व0 राफेल भेंगरा ग्राम—चन्द्रपुर सीरीटोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)
चन्द्रपुर	26	8	1037	2.50

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0310885928 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 518 दिनांक 23.08.2023 से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जॉच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम रेदा मुण्डा वगैरह है। पंजी II के अनुसार रेदा मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकवा 14.21 एकड है। आवेदक के पास कुल रकवा 2.36 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2022—23 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 5172.00(पॉच हजार एक सौ बहत्तर) रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकवा 2.21.79 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एंव एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु बिक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने क्रेता—विक्रेता को भूमि क्रय—विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण फ्रांसिस भेंगरा पिता स्व0 बुधवा भेंगरा को जयश्री भेंगरा पिता राफेल भेंगरा के साथ ग्राम चन्द्रपुर के खाता सं0 8 खेसरा संख्या 1037 कुल रकवा 2.50 एकड भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 5172.00(पॉच हजार एक सौ बहत्तर) रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

28/08/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

28/08/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by Emart
Date: 2024.04.02 16:06:46 +05:30
Location: 192.168.1.104